



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1975/आषाढ़ 28, 1897

No. 29]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1975/ASADHA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये
साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central
Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्यिक और प्रशासनिक विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सां०कां०नि० 872—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951
(1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संघ राज्य सरकारों से परामर्श
के पश्चात्, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1969
का और सशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती
है, अर्थात् —

1. (1) ये नियम अखिल भारतीय (अनुशासन और अपील)
सशोधन नियम, 1975, कहे जा सकेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,
खण्ड (ग) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रति-
स्थापित किया जायगा, अर्थात् —

“(ग) ‘सरकार’ से अभिप्रेत है—

(i) राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे किसी
सदस्य के बारे में या जो किसी ऐसी कंपनी, मगम या व्यक्ति-निकाय

में, चाहे नियमित हो या न हो, जो उन राज्य की सरकार के पूर्णतः
या पर्याप्त रूप से स्वामित्व में है या उसके द्वारा नियंत्रित है या
किसी राज्य के विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए
किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया
है, उस राज्य की सरकार;

(ii) किसी अन्य मामले में केन्द्रीय सरकार;

3. उक्त नियम के नियम 3 में,—

(i) “अनुशासनिक कार्यवाहियों के दौरान निलंबन”—शीर्षक के
स्थान पर “निलंबन” शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायगा;

(ii) उपनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रति-
स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

(i) यदि किसी मामले में, परिस्थितियों को और जड़ा आरोप
के ब्यौरे बनाए गए हैं, यहाँ आरोपों की प्रकृति को ध्यान में
रखते हुए, यथास्थिति, किसी राज्य की सरकार या केन्द्रीय
सरकार का यह समाधान हो जाता है कि जिस सदस्य के
विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ अर्पित हैं या निलंबित हैं,
सेवा के उस सदस्य को निलंबनाधीन रखना आवश्यक या
वांछनीय है, तो वह सरकार, अनुशासनिक कार्यवाहियाँ पूरी
होने और मामले में प्रतिम आदेश पारित होने पर्यन्त—

(क) यदि सेवा का सदस्य उस सरकार के अधीन सेवा कर
रहा है, तो उसे निलंबित करने का आदेश पारित कर
सकेगी, या

hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 against serial number 24, in

column 12, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

“Promotion :

Administrative Officer (Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-EB-40-960) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.”

[File No. 1/12/73-B(A)]

नई दिल्ली, 30 जून, 1975

सांख्यिकी 895.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त अधिकारी का प्रयोग करने हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 1 पत्र) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 1 पत्र) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-1 पत्र) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 6 तथा तत्संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टिया प्रविष्टावित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8
“11. निदेशक श्रोता अनुसंधान।	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-1, राजपत्रित।	1300-60-1600-100-1800 सपबे (पूर्व संशोधित)।	लागू नहीं होता	15 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकेगी)।	आवश्यक : (1) किसी मातृता प्राण विषय-विद्यालय की समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या मानव विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष परीक्षा पास। (2) निम्नलिखित में कम से कम किसी दो में लगभग 5 वर्ष का अनुभव :— (क) जनमत सर्वेक्षण या पाठक सर्वेक्षण। (ख) श्रोता अनुसंधान। (ग) फिल्म, टेलीविजन, विज्ञापन जैसे दृश्य माध्यमों के प्रकाश का अध्ययन। (घ) मार्केट सर्वेक्षण और/या उप-भोक्ता ग्राह्यता सर्वेक्षण। (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सब लोक सेवा आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकेगा)।	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : भारतीय अर्थ-शास्त्र सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारी, इसके न हो सकने पर भारतीय अर्थशास्त्र सेवा या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-2 के अधिकारी जिनकी ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।		

[सां सं० 1/1/71-बी(ए०)]

एम०एल० टंडन, अपर सचिव

New Delhi, the 30th June, 1975

G.S.R. 895.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, further to amend the All India Radio (Class I Posts), Recruitment Rules, 1963, namely:

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1975.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
11. Director, Audience Research	1	General Central Service, Class I, Gazetted	Rs. 1300-50-1600-100-1800 (pre-revised)	Not applicable	Not exceeding 45 years (relaxable for Government servants)	Essential :	(i) Master's degree in Sociology or Psychology or Anthropology or Economics or Statistics of a recognised University or equivalent. (ii) About 5 years experience in at least 2 of the following: (a) Public Opinion Survey or Readership Survey. (b) Listeners Research. (c) Impact Studies of visual media like Film, Television, Advertising. (d) Market Survey and/or Consumer Acceptability Survey. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).
9	10	11	12	13	14		
Not applicable	2 years	By direct recruitment, failing which by transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers belonging to Grade I of the Indian Economic Service, Indian Statistical Service, failing which officers belonging to Grade II of the Indian Economic Service or Indian Statistical Service with at least 3 year's service in the grade. (Period of deputation: ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.		

[File No. 1/1/71-B (A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(शाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सांख्यिकी 896:—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) को धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय डाकघर नियम, 1933 में संशोधन करने के लिए प्रागे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
47 G1/75-4.

1. इन नियमों को भारतीय डाकघर (चौथा) संशोधन नियम, 1975 कहा जायगा।

2. डाकघर नियम, 1933 के नियम 61 में उन नियम (3) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

“(3) यदि पोस्टमास्टर जनरल इन बातों से सजुष्ट है कि रात्रि डाकघर या चलते-फिरते डाकघर में अधिक काम को निपटाने तथा उसमें सभी व्यक्तियों को प्रदत्त सुविधाओं के साम्यिक उपलब्धता के सुनिश्चित करने के लिए, ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है,